न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–दिव्या आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–185 / 2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 251 क(1) आर.टी.ए.

1 अनिता ग्रीन फ्यूल प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ओमप्रकाश पुत्र श्री इन्द्राज सिंह जाति यादव निवासी गुरूग्राम तहसील व जिला गुरूग्राम

– प्रार्थी

बनाम्

1 सफी मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

2 कासम अली पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

3 राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुथार

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

5 राज कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

6 तारावंती पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

7 दुर्गादेवी पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

8 धनवंती पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

9 मनोहरी देवी पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

10 रूकमा देवी पुत्री देवीलाल जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

11 इसमा बीबी पुत्री हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

12 कुरेशा पत्नी हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

13 कलीमा बीबी पुत्री हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

14 नसीबा पुत्री हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

15 यासमीना पुत्री हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तह. व जिला हनुमानगढ

16 शाहनिवाज पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तह.ल व जिला हनुमानगढ

17 जनाब अली पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

18 रज्जाक मोह. पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तह.व जिला हनुमानगढ

19 फते बानो पुत्री याकूब जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

20 अब्दूल खान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

21 मनीष कुमार पुत्र राज कुमार जाति सुथार निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

22 नसीरा बीबी पत्नी कालेखां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

23 सरफा पत्नी कालेखां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

24 बुल्ले शाह पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:31:07 IST
Reason: SelfAttested

25 वारस शाह पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

26 बलौच खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

27 रज्जाक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

28 जब्बार खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

29 नूरजहान पुत्र मंजूरदीन पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

30 नूरजमाल पुत्र मंजूरदीन पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
31 शोकत अली पुत्र मंजूरदीन पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
32 गुलाम फरीद पुत्र सुलेमान पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
33 हनीफ पुत्र सुलेमान पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री मनोज अरोड़ा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुमित अरोड़ा सं. 1 ता 3, 5 ता 20
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 4

–:आदेश:–

दिनांक 02/05/2024

प्रार्थी कम्पनी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया एक कार्पोरेट कम्पनी है। जिसकी भारतवर्ष में ब्रांचे है। राज्य सरकार के रिपस 2019 के कार्यक्रम में राज्य में आद्योगिकरण को बढावा देने हेतु प्रार्थिया द्वारा लखूवाली में एथेनल प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु कृषि भूमि खरीद कर ली गई है। प्रार्थिया कम्पनी को अपनी कृषि भूमि चक 3 एल.के. पटवार हल्का लखूवाली के प.न. 150/371 मु.न. 5 किला नं. 23 में कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थिया कम्पनी को मुख्य सडक पर आवगमन हेतु सुगम रास्ता की आवश्यकता है।

यह है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 3 एल.के. में निम्न कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है–
चक 3 एल.के खाता सं. 61/59 प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21/2 कुल 1.974 है. व खाता सं. 36/50 प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 2 ता 9, 13 ता 18, 23/2, 24/2, 25/2 प.न. 151/372 मु.न 12 किला नं. 1/1 ता 25/2 कुल 10.487 है. में अप्रार्थी सं. 1 का 1708/10487 हिस्सा।

यह है कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम चक 3 एल.के. में निम्न कृषि भूमि दर्ज है–
चक 3 एल.के प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 2 ता 9, 13 ता 18, 23/2 24/2, 25/2 प.न. 151/372 मु.न 12 किला नं. 1/1 ता 25/2 कुल 10.487 है. में अप्रार्थी सं. 2 का 873/10487 हिस्सा दर्ज है।

यह है कि अप्रार्थी सं. 3 के नाम चक 3 एल.के. में निम्न कृषि भूमि दर्ज है–
चक 3 एल.के प.न. 152/371 मु.न. 7 कि.न. 21/3/0.089 प.न. 152/372 मु.न 11 किला नं. 1/1, 11/1, 20, 21, 22/3 प.न. 152/373 मु.न. 24 कि.न 1 कुल 1.190 है. में अप्रार्थी सं. 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज है।

यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने कब्जा काश्त आराजी में से खाता सं. 61/59 प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 21/2, 22/2 व खाता सं. 36/50 के प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 24/2, 25/2 कुल तादादी 4 किता में से प्रत्येक किला में से 13'6" गुणा 165 फीट यानि 0.020 है प्रत्येक किला में से सडक के साथ चिपती हुई आराजी को रास्ता हेतु प्रार्थिया को दिया है। जिसकी भरपाई प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को कर दी गई है।

यह है कि यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी कब्जा काश्त प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 2 ता 9, 13 ता 18, 23/2 24/2, 25/2 प.न. 151/372 मु.न 12 किला नं. 1/1 ता 25/2 कुल 10.487 है. में अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जा काश्त के प.न. 151/371 मु.न. 6 किला नं. 23/2 में 13'6" गुणा 165 फीट यानि 0.020 है. आराजी को रास्ता हेतु प्रार्थिया को दिया है जिसकी भरपाई प्रार्थिया ने अप्रार्थी सं. 2 को कर दी है।

यह है कि अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी कब्जा काश्त आराजी चक 3 एल.के खाता सं. 42/10 प.न. 152/371 मु.न. 7 कि.न. 21/3/0.089 में से 13'6" गुणा 90 फीट यानि 0.011 है. को रास्ता हेतु प्रार्थिया को दिया है जिसकी भरपाई प्रार्थिया ने अप्रार्थी सं. 3 को कर दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:31:07 IST
Reason: Self Attested

Divya
नायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थिया के हको पर परीत प्रभाव पड़ता है प्रार्थिया को अपनी आराजी के संपरिवर्तन हेतु व आवागमन हेतु काफी शानियों का सामना करना पडता है ऐसी स्थिति में प्रार्थिया उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मलदरामद करवाने का अधिकारी है।

यह है कि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 के न. 151/371 मु.न. 6 किला नं. 21/2, 22/2 व खाता सं. 36/50 के प.न. 151/371 मु.न. कि.न. 24/2, 25/2 कुल तादादी 4 किता में से प्रत्येक किला में से 13'6" गुणा 165 फीट ानि 0.020 है. सड़क के साथ चिपती आराजी। अप्रार्थी सं. 2 के प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 3/2 में 13'6" गुणा 165 फीट यानि 0.020 है. आराजी व अप्रार्थी सं. 3 के खाता सं. 42/10 न. 152/371 मु.न. 7 कि.न. 21/3 तादादी 0.089 है. में से 13'6"गुणा 90 फीट यानि 0.011 . का रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई प्रार्थी सं. 1 ता 3 व 5 ता 20 की ओर से अधिवक्ता सुमित अरोड़ा ने वकालतनामा पेश किया व वाब प्रार्थना पत्र सहमति पेश किया। प्रतिवादी 5 ता 20 जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 ोपीस वाद शीर्षक संयोजित किए गए। प्रतिवादी सं. 21 ता 33 की तलबी जरिये समाचार पत्र रवाई गई हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार हनुमानगढ के मौका रिपोर्ट तलब की गई जो तहसील पत्रांक ोडर/24/2 दिनांक 20.03.2024 द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त हुई जिसमें चक 3 एलके प.न. 51/371 मु.न. 6 कि.न. 21 ता 25 प.न. 152/371 मु.न. 7 कि.न. 21 में प्रत्येक में वादी द्वारा 0. 20 है. यानि 13.5 फीट रास्ता चाहा गया है। मौका अनुसार प्रार्थी की प.न. 149/371 व 50/371 में कृषि भूमि है जिसमें से प.न. 150/371 में कि.न. 21 ता 25 में 30 फीट रास्ता वीकृत है। प.न. 151/371 व 152/371 में कि.न. 21 ता 25 (दोनों मुरब्बों में) 16.5 फीट रास्ता वीकृत है और मौका पर चालू है। इसके साथ चिपते हुए 13.5 फीट रास्ता प्रार्थी ओर स्वीकृत करवाना चाहता है। मौकास्थिति अनुसार प्रार्थी को उक्त रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है मौका रिपोर्ट शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थिया व अप्रार्थीगण 1 ता 3, 5 ता 20 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नेयम–68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि:–

–:क्रियान्विति आदेश:–

मुताबिक प्रार्थना पत्र के प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एल.के. में अप्रार्थी सं. 1 के प.न. 151/371 मु.न. 6 किला नं. 21/2, 22/2 व खाता सं. 36/50 के प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 24/2, 25/2 कुल तादादी 4 किता में से प्रत्येक किला में से 13'6" गुणा 165 फीट यानि 0.020 है. सड़क के साथ चिपते हुए, अप्रार्थी सं. 2 के प.न. 151/371 मु.न. 6 कि.न. 23/2 में 13'6" गुणा 165 फीट यानि 0.020 है. आराजी में व अप्रार्थी सं. 3 के खाता सं. 42/10 प.न. 152/371 मु.न. 7 कि.न. 21/3 तादादी 0.089 है. में से 13'6"गुणा 90 फीट यानि 0.011 है. का रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि वे आरटीए 251–ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्वा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2024 को हस्ताक्षर कर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:31:07 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ